मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई—2010 ज्येष्ठ 7, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2010

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेघावी पुरस्कार योजना नियम, 2009

क्र. 8-9-09-चौवन-1 छात्रवृत्ति.—वर्तमान में पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम, 1999 प्रचलन में है चूंकि कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है एवं कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के मेघावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु पृथक् से कोई योजना विभाग में प्रचलन में नहीं है अत: उक्त कमी की पूर्ति करने एवं मेघावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वर्तमान में प्रचलित योजना राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम, 1999 के स्थान पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के एक छात्र एवं एक छात्रा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से नवीन योजना "पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेघावी पुरस्कार योजना नियम, 2009" प्रसारित किए जाते हैं.

1. **संक्षिप्त नाम.**—ये नियम पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेघावी पुरस्कार योजना नियम, 2009 कहलाएंगे. ये नियम तत्काल प्रभावशील माने जाएंगे.

2. **उद्देश्य.**—इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है.

3. **पात्रता.**—3.1 मेघावी पुरस्कार पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों.

3.2 कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हों.

3.3 योजना अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है.

3.4 विद्यार्थी को प्रथम प्रयास में ही कक्षा 10वीं/12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

3.5 चूंकि इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग जाति के विद्यार्थियों को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है. अतः इस योजना में पात्रता हेतु आय का बंधन नहीं रहेगा.

4.1 **पुरस्कार राशि.**—पिछड़ा वर्ग के एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 10वीं बोर्ड एवं एक छात्र तथा एक छात्रा को कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नांकित दरों पर पुरस्कार राशि प्राप्त होगी :—

कक्षा 10वीं बोर्ड — प्रति छात्र/छात्रा रुपये 5000/-
कक्षा 12वीं बोर्ड — प्रति छात्र/छात्रा रुपये 10,000/-

4.2 यदि कक्षा 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक छात्र-छात्रा हो तो समान अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को उपरोक्तानुसार निर्धारित दर पर मेघावी छात्रवृत्ति पुरस्कार राशि प्राप्त होगी.

4.3 यह मेघावी पुरस्कार राशि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)/26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान की जाएगी.

4.4 पुरस्कार राशि के अतिरिक्त छात्र/छात्रा को मिलने वाली अन्य छात्रवृत्ति/शासकीय सुविधाओं के लाभ की भी नियमानुसार पात्रता होगी.

5. **स्वीकृतकर्ता अधिकारी.**—मेधावी पुरस्कार राशि की स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर को होंगे.

6. **विद्यार्थियों का प्रगति मूल्यांकन.**—संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के मेघावी पुरस्कार प्राप्त करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के स्थानीय अभिभावक होंगे. वे उनकी प्रगति की देखभाल करेंगे तथा उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने में उनको सहायता देने हेतु उत्तरदायी होंगे. प्रत्येक छात्र/छात्रा का प्रगति विवरण एक प्रगति प्रपत्र में रखा जाएगा, जिसमें उनकी नियमितता, अनुशासन, परीक्षाफल इत्यादि के संबंध में प्रविष्टियां की जाएगी.

7. **वित्तीय व्यवस्था.**—योजना पर होने वाला व्यय "मांग संख्या-66 मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण (03) पिछड़े वर्गों का कल्याण, (277) शिक्षा, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (2793) प्रावीण छात्रवृत्ति-41-छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002-छात्रवृत्ति-आयोजना."

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.